आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
12/4/17	**आदेश** अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0–110/2016–17 सरकार बनाम सुधीर कुमार यादव व अन्य का मामला पुलिस अधीक्षक, बांका के पत्रांक–4122/सी0आर0 दिनांक–23.11.2016 द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आधार पर जप्त वाहन के संबंध में अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। इस संबंध में चान्दन (आनंदपुर) थाना कांड सं0–121/2016 दिनांक–29.09.2016 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–47(ए0)/57/54 के तहत नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें प्रयुक्त महिन्द्रा कम्पनी का बोलेरो FB वाहन नं0–बी0आर0 46 जी0–0862 (पिक अप) वाहन के साथ विभिन्न ब्रान्डों का कुल–545 बोतल विदेशी शराब तथा झारखण्ड उत्पाद का देशी शराब कुल–3000 पाउच जप्त किया गया है। जिसे झारखण्ड राज्य से खरीदकर जमुई जिला में बेचने हेतु ले जा रहे थे। तथ्य यह है कि दिनांक–21.09.2016 को पुलिस के संध्या गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्तो को वाहन व शराब के साथ मौके पर पकड़ा गया है। इस क्रम में पुलिस के द्वारा वाहन सहित शराब की जप्ती की गयी है। अंतरिम आदेश के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–15 दिनांक–07.01.2017 द्वारा जप्त विदेशी एवं देशी शराब के विनिष्टीकरण हेतु उत्पाद अधीक्षक, बांका को आदेश दिया गया। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका को जप्त वाहन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया हैं। मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त है। वाहन स्वामी सहदेव रविदास, पे0–स्व0 चुनचुन रविदास, सा0–कर्रा, पो0– दिग्धी, थाना–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए तथा वाहन विमुक्ति का आवेदन पत्र व कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। निर्धारित तिथि पर वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अर्ज किया गया कि जप्त वाहन Commercial वाहन है, तथा जप्त रहने से उन्हें क्षति हो रही है। न्यायालय की संतुष्टि के लिए सभी शर्तों के साथ प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में वाहन विमुक्ति का अनुरोध किया गया। विशेष लोक अभियोजक, मद्यनिषेध द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका द्वारा कांड का पर्यवेक्षण किया गया है एवं वाहन मालिक के विरूद्ध भी कांड सत्य पाया गया है। इस संबंध में आगे तथ्य यह रखा गया कि दिनांक–21.09.2016 को समय 20.00 बजे पुलिस गश्ती दल कटोरिया सिमुलतल्ला मुख्य पक्की सड़क पर ग्राम नोनियां के पास पहुॅचे तभी गुप्तचर द्वारा सूचना दी गयी की तुर्की मोड़ से कुरूमटांड मोड़ की ओर एक पिकअप गाड़ी में काफी मात्रा में शराब लेकर झारखण्ड की तरफ से आ रहा है। तभी करीब 21.15 बजे तुर्की मोड़ की ओर से गाड़ी आते दिखायी दिया। गाड़ी रोककर लोड समानो के बारे में पूछताछ करने पर चालक सुधीर यादव द्वारा संतोषजनक उत्तर नही दिया जा सका। फलस्वरुप सशस्त्र बल द्वारा तलाशी ली गयी एवं तलाशी के क्रम में उक्त बोलेरो पिकअप गाड़ी में रॉयल स्टेग का 375 एम0एल0 का 72 बोतल, 180 एम0एल0 का 140 बोतल, इम्पीरियल ब्लू 375 एम0एल0 का 96 बोतल,	

16

180 एम0एल0 का 190 बोतल एवं व्हाईट ब्लू 180 एम0एल0 का 47 बोतल तथा झारखण्ड उत्पाद का देशी शराब 200 एम0एल0 का 3000 पाउच पाया गया तथा पूछने पर चालक सुधीर यादव व अन्य द्वारा यह कहा गया कि झारखण्ड से खरीदकर जमुई जिले में बेचने हेतु जा रहे है। इस प्रकार बोलेरो गाड़ी द्वारा अवैध रुप से शराब बेचने हेतु परिवहन किया गया जो एक दंडनीय अपराध हैं एवं वाहन मालिक द्वारा अपनी गाड़ी का गैर कानूनी कार्य में प्रयुक्त कराया गया है जो दंडनीय अपराध है। इस क्रम में वाहन विमुक्ति के आवेदन को अस्वीकृत करने अनुरोध विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।

बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण किया गया। विदित है कि राज्य में पूर्णरूपेण शराबबंदी है। प्रयुक्त वाहन द्वारा अवैध रुप सें विदेशी/देशी शराब का कारोबार किया गया है। शराब काफी मात्रा में उक्त वाहन के साथ पकड़ा गया है जिसकी संपुष्टि पर्यवेक्षण टिप्पणी में अंकित तथ्यों से होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

वाहन स्वामी की ओर से वाहन के गलत कार्यों में प्रयुक्त होने के बिन्दू पर सफाई में कुछ भी नहीं कहा गया। इससे यह परिलक्षित होता है कि वाहन स्वामी की भी इस अवैध कारोबार में सहभागिता है। फलस्वरुप जप्त वाहन विमुक्त करने योग्य नही है। अधिनियम की धारा–56(घ) के अनुसार जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नलिखित वस्तुएं अधिहरण की भागी होंगी– यथा–

(घ) उसे ढोने के काम में लाये जानेवाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचारोपरान्त वाहन विमुक्ति के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा महिन्द्रा कम्पनी का बोलेरो FB वाहन (बी0आर0 46 जी0–0862 पिकअप) को अधिनियम के अधीन शराब के अवैध कारोबार में प्रयुक्त करने के दंडनीय अपराध के आरोप में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कथित जप्त वाहन को सरकार के पक्ष में राज्यसात करने का आदेश देता हूँ।

जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका को निदेशित किया जाता है कि वाहन का मूल्यांकन प्रतिवेदन उत्पाद अधीक्षक, बांका को तुरंत उपलब्ध करायें तथा उत्पाद अधीक्षक, बांका को आदेश दिया जाता है कि मूल्यांकन प्रतिवेदन के आलोक में वाहन की खुली निलामी करें तथा इससे प्राप्त राशि सरकार के विहित शीर्ष में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

सभी संबंधित को अनुपालनार्थ सूचित करे।

तद्आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

12.4.17

समाहर्त्ता,
बांका।

12.4.17

समाहर्त्ता,
बांका।